



भारत में लैंगिक असमानता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ रीता मौर्या

असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजशास्त्र, कन्या महाविद्यालय आर्य समाज, भूङ, बरेली (उप्रो) भारत

Received-20.10.2024,

Revised-26.10.2024,

Accepted-01.11.2024

E-mail : aaryvart2013@gmail.com

सारांश: भारत में लैंगिक असमानता एक गहरी सामाजिक तमस्या है, जो लंबे समय से समाज की संरचना और सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा बनी हुई है। पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक अधिकारों में पुरुषों की तुलना में कम अवसर मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह असमानता अधिक स्पष्ट है जहाँ बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी कृपाधारें महिलाओं की स्थिति को और कमजोर करती हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक निर्भरता और शिक्षा की कमी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है।

कुंजीमूर्त शब्द— लैंगिक असमानता, सामाजिक समस्या, संरचना, सांस्कृतिक, परंपरा, पितृसत्तात्मक, स्वास्थ्य, रोजगार, घरेलू हिंसा

भारत जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश में लैंगिक असमानता एक अत्यंत जटिल और पुरानी सामाजिक समस्या है। यह असमानता समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जैसे— शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीति और सामाजिक अधिकार। लैंगिक असमानता का अर्थ है, महिलाओं और पुरुषों के बीच अवसरों, संसाधनों और अधिकारों में असमानता। भारत में यह समस्या पितृसत्तात्मक समाज, धार्मिक रुद्धिवादी मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण गहरी जड़ें जमा चुकी है। भारत की सामाजिक संरचना में पुरुषों को पारंपरिक रूप से प्रभुत्वशाली और निर्णायक भूमिका में रखा गया है, जबकि महिलाओं को परिवार और घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया। यह असमानता केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी अलग-अलग रूपों में मौजूद है। महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा न मिल पाना और उनके अधिकारों का हनन होना न केवल उनके विकास में बाधक है, बल्कि यह समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में भी रुकावट पैदा करता है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में लैंगिक असमानता के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का विश्लेषण करना है, ताकि इसके कारणों, प्रभावों और समाधान की संभावनाओं को समझा जा सके।

भारत में लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य— भारत में लैंगिक असमानता का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। यह समस्या समाज के विकास के विभिन्न चरणों में बदलती रही है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव के कारण सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कारक रहे हैं।

वैदिक काल को भारतीय समाज में महिलाओं की स्वर्णिम अवस्था का प्रतीक माना जाता है। इस समय महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और सम्मान प्राप्त थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था। गार्भी, मैत्रीयी, लोपामुद्रा और अपाला जैसी विदुषी महिलाओं ने ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। समाज में महिलाओं को षष्ठ्यर्घ्यमारिणीष के रूप में पति के समान स्थान दिया जाता था।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में धीरे-धीरे गिरावट आने लगी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत हुई, और महिलाओं की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने लगे। इस काल में शिक्षा का अधिकार महिलाओं से छिनने लगा, और उनके सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी कम होती गई।

मध्यकाल में बाल विवाह की प्रथा ने महिलाओं के जीवन को और भी कठोर बना दिया। लड़कियों को छोटी उम्र में विवाह के लिए मजबूत किया जाता था, जिससे उनकी शिक्षा और विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रथा ने न केवल महिलाओं के जीवन को संकुचित किया, बल्कि समाज में असमानता और शोषण को भी बढ़ावा दिया। सती प्रथा एक और अमानवीय परंपरा थी, जो इस काल में प्रचलित हो गई थी।

ब्रिटिश शासनकाल में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई कानून बनाए गए और उनके लिए शिक्षा के द्वार खोले गए। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का मार्ग प्रशस्त किया। यह समय भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जो आने वाले समय में समाज में बदलाव की संभावनाओं को जन्म देने वाला साबित हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता और अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया, ताकि समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सके और महिलाओं को समान अधिकार मिले।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 15 महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के मेदभाव को निषेध करता है।

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए। इनमें से कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं:

- बाल विवाह निषेध अधिनियमरूप इस कानून के तहत, बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित किया गया।
- दहेज निषेध अधिनियमरूप इस कानून के माध्यम से दहेज की मांग और दहेज के कारण होने वाली हिंसा को रोकने की कोशिश की गई। महिलाओं को दहेज की प्रथा से मुक्त करने के लिए यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम था।
- घरेलू हिंसा अधिनियमरूप महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इसके तहत महिलाओं को उनके घर में होने वाली हिंसा से सुरक्षा प्रदान की गई और उन्हें कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियमरूप महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यह कानून लागू किया गया।



इन प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। सामाजिक मानसिकता में बदलाव की कमी, पितृसत्तात्मक सोच और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी आज भी महिलाओं के विकास में बाधा बनती हैं।

लैंगिक असमानता के मुख्य कारण—भारत में लैंगिक असमानता एक गहरी सामाजिक समस्या है, जो कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई है।

1. पितृसत्तात्मक समाज: भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक ढाँचे पर आधारित है, जहाँ पुरुषों को परिवार और समाज में सर्वोच्च निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को अक्सर घर की चार दीवारों तक सीमित कर दिया जाता है इस संरचना को बदलने के लिए समाज में व्यापक जागरूकता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

2. शिक्षा में असमानता: शिक्षा किसी भी समाज के विकास का आधार है, लेकिन भारत में लड़कियों की शिक्षा को अभी भी कई परिवारों में महत्व नहीं दिया जाता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को गैरजरुरी मानते हुए उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। शिक्षा में असमानता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकती है और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है।

3. आर्थिक निर्भरता: महिलाओं की आर्थिक निर्भरता लैंगिक असमानता का एक प्रमुख कारण है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में महिलाएँ परिवार और समाज में अपनी बात रखने में कमज़ोर साबित होती हैं। इसके अलावा, महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, जो कार्यक्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। कई महिलाएँ घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, जिन्हें 'अदृश्य श्रम' कहा जाता है, और इन कार्यों का कोई आर्थिक मूल्य नहीं आँका जाता। आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाएँ हिंसा और शोषण का सामना करने के बावजूद विरोध करने में असमर्थ रहती हैं।

4. सामाजिक कुप्रथाएँ और रुक़िवादी सोच: भारतीय समाज में प्राचीन समय से कई कुप्रथाएँ और रुक़िवादी सोच व्याप्त हैं, जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि गंभीर समस्याएँ हैं, जिसमें महिलाओं को शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है, लेकिन समाज के डर से वे शिकायत दर्ज कराने से कठराती हैं।

5. राजनीतिक भागीदारी में कमी: महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की कमी भी लैंगिक असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, और संसद तथा विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम है। राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति कम होने के कारण उनके मुद्दे और समस्याएँ सही मंच तक नहीं पहुँच पातीं। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन कई बार यह केवल 'नाममात्र' की भागीदारी होती है, जिसमें महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक भूमिका निभानी पड़ती है।

6. धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएँ: भारत में धार्मिक ग्रंथों, परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं की आड़ में महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया गया है। जिससे समाज में पितृसत्तात्मक सोच को बल मिला। जिससे उनके सामाजिक और धार्मिक अधिकारों पर प्रतिवंध लगाया जाता है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के नाम पर महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को रोका गया, जिससे लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिला।

लैंगिक असमानता के प्रभाव— लैंगिक असमानता किसी भी समाज के विकास के लिए गंभीर बाधा उत्पन्न करती है। इसके कारण न केवल महिलाएँ अपने अधिकारों और अवसरों से वंचित रहती हैं, बल्कि समाज और देश का समग्र विकास भी प्रभावित होता है। लैंगिक असमानता के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और राजनीतिक जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनका विस्तार से वर्णन नीचे किया गया है।

1. सामाजिक विकास में बाधा: लैंगिक असमानता के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा विकास की प्रक्रिया से बाहर रह जाता है। महिलाएँ, जो कि जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, जब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक निर्णयों में बराबर भागीदारी नहीं कर पातीं, तो समाज का संतुलित और समग्र विकास बाधित होता है। जब महिलाएँ शिक्षा से वंचित होती हैं, तो वे न तो परिवार के आर्थिक विकास में योगदान दे पाती हैं और न ही समाज के सुधार में भूमिका निभा पाती हैं। लैंगिक असमानता से सामाजिक असमानता बढ़ती है, जिससे समाज में भेदभाव और असंतोष की भावना जन्म लेती है। इस प्रकार, लैंगिक असमानता का सीधा असर समाज की प्रगति और एकता पर पड़ता है।

2. आर्थिक विकास पर असर: लैंगिक असमानता का आर्थिक विकास पर गंभीर भ्रम फैलता है। महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में भागीदारी कम होने से देश की आर्थिक उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है। जब महिलाएँ श्रम बाजार से बाहर रहती हैं या उनकी भागीदारी सीमित होती है, तो देश की कार्यबल क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। समान कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। महिलाओं के कौशल और क्षमता का उपयोग न होने से आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के अनुसार, यदि महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो देश की लक्ष्य में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

3. घरेलू हिंसा और अपराध: लैंगिक असमानता महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराधों को बढ़ावा देती है। पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में महिलाओं को कमज़ोर समझा जाता है, जिसके कारण वे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाएँ अक्सर समाज के डर और आर्थिक निर्भरता के कारण आवाज उठाने में असमर्थ रहती हैं। लैंगिक असमानता से महिलाओं पर सामाजिक दबाव बढ़ता है, जिससे वे न्याय और अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पातीं। स्त्री भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज हत्या और मानव तस्करी जैसी समस्याएँ लैंगिक भेदभाव के कारण ही बढ़ती हैं।

4. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: लैंगिक असमानता का महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज में असमानता के कारण महिलाएँ अक्सर तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का सामना करती हैं। विवाह, घरेलू हिंसा और आर्थिक निर्भरता के कारण महिलाएँ मानसिक तनाव में जीती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य की अनदेखी के कारण वे कुपोषण, एनीमिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित रहती हैं। गर्भावस्था और मातृत्व के समय महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलतीं, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति और खराब हो जाती है।

5. राजनीतिक सशक्तिकरण का अभाव: लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित हो जाती है, जिससे उनके मुद्दे और समस्याएँ उचित मंच तक नहीं पहुँच पातीं। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण न केवल उनके अधिकारों को सुरक्षित करेगा, बल्कि समाज में लैंगिक असमानता को भी कम किया जा सकेगा।



लैंगिक असमानता के प्रभाव व्यापक और बहुआयामी हैं। इससे समाज, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और राजनीति सभी क्षेत्रों में असंतुलन पैदा होता है। समाज का एक बड़ा हिस्सा, जो महिलाओं के रूप में योगदान दे सकता है, लैंगिक भेदभाव के कारण पीछे रह जाता है।

इस प्रकार, वर्तमान समय में भारत में लैंगिक असमानता के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह समस्या अभी भी बनी हुई है। इसके समाधान के लिए केवल कानूनी उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि समाज की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जाने चाहिए।

लैंगिक असमानता के समाधान-लैंगिक असमानता एक गंभीर और पुरानी समस्या है, जिसे समाप्त करने के लिए समाज में समग्र बदलाव की आवश्यकता है। इसके समाधान के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है, जिनमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता प्रमुख हैं। इन उपायों को लागू कर समाज में समानता और न्याय की दिशा में प्रगति की जा सकती है।

लड़कियों की शिक्षा लैंगिक असमानता के समाधान में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा से महिलाएँ न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भी बनती हैं। लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने से उनके परिवार और समाज की स्थिति में सुधार आता है। जब महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं, तो वे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं और समाज में बदलाव ला सकती हैं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर हम समाज में लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए एक मजबूत नींव रख सकते हैं।

महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें मजबूत बनाना आवश्यक है। महिलाओं को स्व-रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वे अपने फैसले खुद ले सकती हैं। समाज में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। जब महिलाएँ अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम होंगी, तो वे समाज में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना होगा, ताकि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर मिल सके।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन उन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। भारत में महिला सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून हैं, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला उत्पीड़न अधिनियम, और महिला सम्मान के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान। इन कानूनों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें और वे किसी प्रकार के शोषण से बच सकें।

सामाजिक जागरूकता फैलाना लैंगिक असमानता को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाज में बदलाव लाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो लोगों को लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के बारे में शिक्षित करें। मीडिया, शिक्षा संस्थान और गैर-सरकारी संगठन (छाड़े) को इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोग कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, और घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। सामाजिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग करके भी लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है। इस प्रकार, जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से समाज की मानसिकता में बदलाव लाकर लैंगिक असमानता को खत्म किया जा सकता है।

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए पंचायत से लेकर संसद तक आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अधिकार मिल सकें।

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण महिलाएँ जब आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे सामाजिक और घरेलू मामलों में अधिक प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देने से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं और समाज में समानता का माहौल बना सकती है।

लैंगिक असमानता के समाधान के लिए समाज, सरकार और विभिन्न संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता कार्यक्रम, राजनीतिक भागीदारी और आर्थिक स्वतंत्रता जैसी पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास- भारत में लैंगिक असमानता को कम करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कानून के माध्यम से सुधार करते हुए, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 जैसे कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लागू किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बेटी बच्चों को योजना और मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के जरिए लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत महिलाओं को रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर प्रदान किए गए।

महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, महिला हेल्पलाइन 181, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएँ शुरू की गईं। इसके अलावा, जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास किए गए। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों में 33: आरक्षण दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15(3), और 39 के तहत समानता, समान वेतन, और विशेष प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है। इन सबके साथ, जागरूकता अभियान और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता को स्थापित करना भी है।

निष्कर्ष- भारत में लैंगिक असमानता एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं के विकास और राष्ट्र की प्रगति में बाधा डालती है। इसके समाधान केवल कानूनों और योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर देने होंगे ताकि वे समाज में बराबरी



से आगे बढ़ सकें। जब महिलाएँ स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर होंगी, तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकेगा। लैंगिक असमानता को समाप्त करने के लिए समाज में गहराई तक फैली मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी महत्वपूर्ण है। जब महिलाओं को सम्मान, स्वतंत्रता और भागीदारी के समान अवसर मिलेंगे, तभी समाज का समग्र विकास और सामाजिक संतुलन संभव हो सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. देव, सत्यव्रत (2010). भारतीय समाज में स्त्री: स्थिति और समस्याएँ. वाराणसी, चौखंभा प्रकाशन।
2. मिश्रा, योगेन्द्रनाथ (2011). नारी विमर्श: एक अध्ययन. नई दिल्ली, प्रभात प्रकाशन।
3. शर्मा, रामलाल (2012). लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय. जयपुर, राजस्थान प्रकाशन।
4. वर्मा, सी.पी. (2013). भारतीय महिला और सामाजिक संरचना. लखनऊ, नवभारत पब्लिकेशन।
5. त्रिपाठी, रामशरण (2014). स्त्री सशक्तिकरण की चुनौतियाँ. दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ।
6. कुमार, राजेश (2015). लैंगिक असमानता, परंपरा और आधुनिकता. पटनारूप विद्या भारती।
7. गुप्ता, शशि कांत (2016). समाजशास्त्र और स्त्री विमर्श. आगरा, ज्ञानसागर प्रकाशन।
8. तिवारी, के.एल. (2017). भारतीय संदर्भ में नारीवाद. भोपाल, साहित्य भवन।
9. सिंह, महेन्द्र (2018). स्त्री अधिकार और सामाजिक परिवर्तन. मेरठ, प्रकाशन विभाग।
10. पाठक, विद्या देवी (2019). महिला शिक्षा और सामाजिक विकास. वाराणसी, सरस्वती प्रकाशन।
11. प्रसाद, हरिश्चंद्र (2020). स्त्री विमर्श, सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली, राष्ट्रभाषा प्रकाशन।
12. यादव, सुभाष चंद्र (2021). भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव. कानपुर, विश्वविद्यालय प्रकाशन।
13. शुक्ला, रमेश (2019). महिलाओं की स्थिति और अधिकार. इलाहाबाद, विद्या निकेतन।
14. भारती, कमलेश (2018). स्त्री-विमर्श का समाजशास्त्र. दिल्ली, आश्रय प्रकाशन।
15. मिश्रा, रेखा (2017). समकालीन समाज में स्त्री-पुरुष समानता. जयपुर, साहित्य अकादमी।

* * * *